

34

29-8-12

99-8-12

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12012 पुनरीक्षण - 2787-II/12

- १) चतरा पुत्र नथुआ गडरिया,
 - २) बारैलाल पुत्र नथुआ गडरिया,
 - ३) मुनी पुत्र नथुआ गडरिया,
 - ४) भगवानदास पुत्र नथुआ गडरिया,
- निवासीगण सरकनपुर, तैहसील वल्देवाड़,
जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)

आवेदकगण

नाम

किशौरी पुत्र धनश्याम गडरिया,
निवासी सरकनपुर, तैहसील वल्देवाड़, जिला
टीकमगढ़ (म०प्र०)

अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता,
विरुद्ध आदेश दिनांकी २१-५-१२, म०प्र० क्रमांक ६-८-१२
पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल वल्देवाड़ एवं
तैहसीलदार, प्रकरण क्रमांक १०ज।१२।२०११-१२कनवान
किशौरी वनाम चतरा आदि ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक ८२४ स्थितग्राम
हीरापुर नजदीक सरकनपुर रकबा ०-८५८ आगे लगाने

क
र
ह
ग
दिए
जस्व
वल्देवा
तैहसी
वल्देवा
निर्देशित
वल्कि
कनवान
क्रिया
जन कर
पारित
नीय न

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निग.-2787-दो/2012

जिला-टीकमगढ़

चतरा आदि विरुद्ध किशोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बल्देवगढ़ एवं तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 9/अ-12/2011-12 एवं 10/अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21-05-2012 एवं 09-08-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 07-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ जिला- टीकमगढ़ के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	


(आर.के. जैन)
सदस्य 26.4.19